

योजना का नाम	पात्रता	देय राशि
होस्टल सुविधा योजना (रूल-301)	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को होस्टल में रहने पर बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष मु0 20,000 (बीस हजार) तक की राशि आवास, बोर्डिंग तथा भोजन के लिए प्रदान की जाएगी।

Hostel Facility [Rule No.-301]	पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को होस्टल में रहने पर बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष मु. 15,000/- (पन्द्रह हजार) से मु. 20,000/- (बीस हजार) तक की राशि आवास, बोर्डिंग तथा भोजन के लिए प्रदान की जाएगी।
--------------------------------	---